

क्रमांक : एफ 5(8)2023 / कार्मिक / प्रमुखसं /

दिनांक :

कार्यालय-आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सि.रि.पि संख्या 3620/2008 देवकृष्ण दरोगा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2012 के क्रम में विभाग द्वारा प्रस्तुत रिकॉल प्रार्थना-पत्र संख्या 113/2016 में आदेश दिनांक 08.05.2023 पारित कर पूर्व में जारी आदेश दिनांक 06.02.2012 को रिकॉल कर लिया गया है।

माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 08.05.2023 एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संदीप शाह की राय दिनांक 09.05.2023 के क्रम में देवकृष्ण दरोगा से संबंधित समस्त समान प्रकरणों में :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) द्वारा जारी आदेश क्रमांक 505 दिनांक 03.04.2023, 600 दिनांक 26.04.2023 एवं 1105 दिनांक 03.05.2023 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित करने,
2. मुख्य वन संरक्षक/उप वन संरक्षक/अन्य कार्यालयाध्यक्षों द्वारा वेतन स्थरीकरण/भुगतान के संबंध में जारी किए गए आदेश (यदि जारी किए गए हों) को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित करने एवं
3. समस्त कार्यालयों, जहाँ पर भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उन समस्त कार्यालयाध्यक्षों को भुगतान की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से स्थगित करने

के आदेश एतद् द्वारा प्रसारित किए जाते हैं।

संलग्न :-

1. माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.05.2023 की प्रति
2. अति. महाधिवक्ता श्री संदीप शाह की विधिक राय दिनांक 09.05.2023 की प्रति



(डॉ. दीप नारायण पाण्डेय)


प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 10/05/2023

क्रमांक : एफ 5(8)2023 / कार्मिक / प्रमुखसं / 1297-1406
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य शासन सचिव, वन, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त/ट्री राजस्थान, जयपुर।
3. परियोजना निदेशक आर.एफ.बी.पी. जयपुर/निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर।
4. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी./अरावली वृक्षारोपण परियोजना राजस्थान, जयपुर/श्रम एवं विधि।
5. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव) उदयपुर।
8. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर)/सरिस्का अलवर)/मुकन्दरा (कोटा)।
9. मुख्य वन संरक्षक वनवर्धन, जयपुर/आर.वी.पी. कोटा/एफ.पी.आर.पी. जयपुर।
10. मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर/निदेशक परिचालन राजस्थान वन विकास निगम लिमिटेड जयपुर।
11. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु।
12. समस्त उप वन संरक्षक।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)

राजस्थान, जयपुर